एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना

मध्यम अवधि व्यय ढांचे हेतु

(2017-18 से 2019-20)

संचालन दिशा-निर्देश

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्रधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,

अगस्त क्रांति मार्ग, (खेल गांव के सामने), नई दिल्ली - 110 016, भारत

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	एपीडा के बारे में	3
2	योजना घटक	5
3	सहायता का स्वरूप 3.1 निर्यात अवसंरचना का विकास 3.2 गुणवत्ता विकास 3.3 बाज़ार विकास	 7 10 19
4	सामान्य आवश्यकताएं एवं शर्तें	22
5	आवेदन और दस्तावेज़ आवश्यकताओं को भरने की प्रक्रिया	26
6	स्वीकृति हेतु प्रक्रिया	26
7	अंतिम दावा दस्तावेजों की प्रस्तुति	27
8	वित्तीय सहायता का संवितरण	29
9	प्रोसेस फ़्लो चार्ट	
10	संलग्नक	

सहायता हेतु संचालन दिशा-निर्देश

एपीडा के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

मध्यम अवधि व्यय ढांचे हेतु

(2017-18 से 2019-20)

1. एपीडा के बारे में

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना दिसंबर , 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई। एपीडा का प्राथमिक उद्देश्य एपीडा अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात का विकास और संवर्धन करना है:

क.) फल, सब्जी तथा उनके उत्पाद

ख.) मांस तथा मांस उत्पाद

ग.) कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पाद

घ.) डेरी उत्पाद

ङ.) कन्फेक्शनरी, बिस्कुट तथा बेकरी उत्पाद

च.) शहद, गुड़ तथा चीनी उत्पाद

छ.) कोको तथा उसके उत्पाद, सभी प्रकार के चॉकलेट

ज.) मादक तथा गैर मादक पेय

झ.) अनाज तथा अनाज उत्पाद

ञ.) मूंगफली और अखरोट

ट.) अचार, चटनी और पापड़

ठ.) ग्वार गम

ड.) पुष्पकृषि तथा पुष्पकृषि उत्पाद

ण.) जड़ी बूटी तथा औषधीय पौधे

एपीडा अधिनियम के भाग 10(2) में निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है:

क.) वित्तीय सहायता प्रदान कर या सर्वेक्षण तथा संभाव्यता अध्ययनों , संयुक्त उद्यमों के माध्यम से साम्य पूँजी लगाकर तथा अन्य राहतों व आर्थिक सहायता योजनाओं के द्वारा अनुसूचित उत्पादों के निर्यात से संबंधित उद्योगों का विकास करना;
ख.) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना;
ग.) निर्यात उद्देश्य के लिए अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विनिर्देश तय करना।
घ.) बूचड़खानों, संसाधन संयंत्रों, भंडारण परिसर, वाहनों या अन्य स्थानों में जहाँ ऐसे उत्पाद रखे जाते हैं या उन पर कार्य किया जाता है , उन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण करना।
ङ.) अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार करना।
च.) भारत से बाहर अनुसूचित उत्पादों के विपणन में सुधार करना।
छ.) निर्यातोन्मुख उत्पादन का प्रोत्साहन और अनुसूचित उत्पादों का विकास।
ज.) उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन या अनुसूचित उत्पादों के निर्यात में लगे संगठनों या कारखानों के मालिकों या अनुसूचित उत्पादों से सम्बद्ध मामलों के लिए निर्धारित ऐसे अन्य व्यक्तियों से आंकड़े एकत्र करना तथा इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों या उनके किसी एक भाग या उनके उद्धरण प्रकाशित करना।
झ.) अनुसूचित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देना।
ञ.) निर्धारित किए गए अन्य मामले।

उपरोक्त के अतिरिक्त, एपीडा को भारत या भारत के बाहर 'विशिष्ट उत्पादों' के संबंध में बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के पंजीकरण और संरक्षण का कार्य सौंपा गया है। वर्तमान में, एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध बासमती चावल एकमात्र 'विशिष्ट उत्पाद' है। लंबे प्रयासों के बाद एपीडा फरवरी 2016 में बासमती चावल हेतु जी.आई पंजीकरण प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।

एपीडा, जैविक उत्पादन के लिए प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम निर्दिष्ट करते हुए राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम के लिए भी सचिवालय है। जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम में गैर-एपीडा अनुसूचित उत्पादों सहित सभी कृषि कमोडिटीज़ सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम के

अंतर्गत दस लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत किया गया है और जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु यह प्रमाणीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है।

2. योजना घटक

मूल्य करोड़ रुपए में

क्र.सं.	**घटक**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**कुल**
अ.	**योजना घटक**				
(क.)	निर्यात अवसंरचना विकास	30.00	79.00	83.00	192.00*
(ख.)	गुणवत्ता विकास	19.50	51.00	56.50	127.00
(ग.)	बाज़ार विकास	30.00	44.00	46.00	120.00*
	उप जोड़ अ	**79.50**	**174.00**	**185.50**	**439.00**

* जैविक उत्पादों के निर्यात संवर्धन हेतु निर्यात अवसंरचना विकास और बाज़ार विकास योजना घटक के अंतर्गत क्रमशः 20 करोड़ रुपये और 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

क.) निर्यात अवसंरचना का विकास:

कृषि उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पर्याप्त अवसंरचना का विकास करना एक कठिन कार्य है। इस योजना में ताज़े उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से फसलोत्तर हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना पर जोर दिया जाता है ताकि फसल खराब होने के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और कृषि उत्पादों के गुणवत्ता के उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना घटक में पैकिंग/ग्रेडिंग लाइन के साथ पैकहाउस सुविधाओं , कोल्ड स्टोरेजों के साथ पूर्व शीतलन इकाईयों और रेफ्रिजेरेटेड परिवहन आदि , केले जैसी फसलों की हैंडलिंग के लिए केबल सिस्टम, पूर्व-लदान उपचार सुविधाओं जैसे विकिरण , वाष्प ऊष्मा उपचार (वी.एच.टी), आयतक देशों की फाइटो-सैनिटरी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए हॉट वाटर डिप उपचार (एच.डब्ल्यू.डी.टी), प्रसंस्करण सुविधाओं आदि जैसी अवसंरचनाओं को स्थापित करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती है। साथ ही इसमें उत्पाद की बाहरी/आंतरिक गुणवत्ता का पता लगाने लिए स्क्रीनिंग सेंसर के उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की भी सहायता उपलब्ध की जाती है।

अनुपस्थित अंतराल के पताभिगमन हेतु प्रसंस्करण सुविधाओं (प्रसंस्करण खाद्य खण्ड) के लिए अवसंरचना हेतु सहायता भी उपलब्ध है जिसमें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए एक्स-रे, स्क्रीनिंग, सॉर्टैक्स, गंध/ धातु संसूचक, सेंसर, वाइब्रेटर जैसे उपकरण या अन्य नए उपकरण या तकनीकें शामिल हैं।

ख.) गुणवत्ता विकास:

विभिन्न देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन एक सतत प्रक्रिया है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वोपरि है। इन देशों द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशिष्ट स्तर (एम.आर.एल) कड़े करने के लिए आयातक देशों में से अधिकांश अवलंबन की मांग कर रहे हैं। कुछ विकसित आयातक देशों ने बहुत कम स्तर पर एम.आर.एल निर्धारित किए हैं जिसके लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और व्यापार द्वारा उच्च परिशुद्धता उपकरणों को अनिवार्य रूप से स्थापित करने की आवश्यकता होती है। निर्यात के उद्देश्य के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, प्रयोगशाला परीक्षण उपकरणों की स्थापना, ट्रेसबिलिटी सिस्टम के लिए कृषि स्तर परिधीय निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए आयोजित उपकरणों और सैम्पलों के परीक्षण आदि ऐसे निर्धारित मानकों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ग.) बाज़ार विकास:

खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु संरचित विपणन कार्यनीतियों के विकास के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए बाज़ार आसूचना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकिंग कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन्हें बाजार विकास घटक के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी , व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान और क्रेता -विक्रेता बैठक आदि आयोजित करना शामिल है। अच्छी पैकिंग, उत्पाद की गुणवत्ता के साथ-साथ उसकी छवि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानकों को विकसित करना और आई.आई.पी. के माध्यम से मौजूदा मानकों को अपग्रेड करना आवश्यक है। इस योजना घटक ने नए बाज़ारों में बाज़ार पहुंच बनाने और वर्तमान बाज़ारों मे हमारी उपस्थिति बनाए रखने में मदद की है।

3. सहायता का स्वरूप:

3.1 निर्यात अवसंरचना का विकास#

3.1.1 ताजा बागवानी उत्पाद जैसे एकीकृत पैकहाउस , केले के लिए केबल हैंडलिंग सिस्टम और अन्य फसलों के लिए अन्य समान आवश्यकताओं, इंसुलेटिड की खरीद, रीफर वाहन / मोबाइल प्री-कूलिंग इकाइयों आदि के लिए फसलोत्तर अवसंरचना की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध है:

हिताधिकारी: एपीडा पंजीकृत निर्यातक आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

उप-घटक	**कार्यक्षेत्र**	**सहायता का स्वरूप**
क. एकीकृत पैकहाउस*	फाइटो-सैनिटरी आवश्यकताओं के अनुपालन में सुधार	प्रत्येक गतिविधि के लिए कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 100 लाख रुपए है।###
ख. इंसुलेटिड , रीफर वाहन/ पूर्व-शीतलन इकाईयों की खरीद	कोल्ड चेन को मज़बूत बनाना	
ग. केला और अन्य फसलों के लिए केबल हैंडलिंग प्रणाली	केला और अन्य फसलों की गुणवत्ता में सुधार।	
घ. बागवानी फसलों के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं **	मूल्यवर्धित उत्पादों हेतु उत्पादकता, दक्षता और गुणवत्ता में वृद्धि।	

जैविक उत्पादों के लिए ट्रेसनेट ट्रेसबिल्टी प्रणाली में सम्मिलित उत्पाद भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

* संग्रह , सफाई, धुलाई, सोर्टिंग/ ग्रेडिंग, पूर्व-शीतलन, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज के लिए उपकरण, हैंडहेल्ड एन.आई.आर उपकरण (आम फलों के पेड़ की कटाई गुणवत्ता मूल्यांकन के आधार पर) हॉट वाटर डिप उपचार आदि सुविधाएं शामिल हैं।

** उपकरणों और तकनीकों में आयातक देशों के फाइटो-सैनिटरी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्पाद की बाहरी/आंतरिक गुणवत्ता का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्क्रीनिंग सेंसर , वाष्प ऊष्मा उपचार (वी .एच.टी), विकीरण या किसी नए उपकरण या तकनीक को शामिल किया जा सकता है।

3.1.2. इन्सुलेटिड की खरीद , रीफर वाहन इकाईयों , अनुपस्थित अंतराल के पताभिगमन के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु सहायता उपलब्ध है जिसमें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए एक्स-रे , स्क्रीनिंग उपकरण , सॉर्टेक्स , आई.क्यू.एफ, कुकिंग/ब्लांचिन्ग लाइन , गंध/ धातु संसूचक , सेंसर , वाइब्रेटर जैसे उपकरण या अन्य नए उपकरण या तकनीकें शामिल हैं।

उप-घटक	**कार्यक्षेत्र**	**सहायता का स्वरूप**
क. इंसुलेटिड , रीफर वाहन/ पूर्व-शीतलन इकाईयों की खरीद#	कोल्ड चेन को मज़बूत बनाना	प्रत्येक गतिविधि के लिए कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 100 लाख रुपए है।###
ख. अनुपस्थित अंतराल के पताभिगमन हेतु प्रसंस्करण सुविधाएं##	मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए उत्पादकता / दक्षता या गुणवत्ता में वृद्धि।	

#बोवाइन मांस, घटक 3.1 के अंतर्गत किसी भी सहायता के लिए पात्र नहीं है।

चावल और दालों के लिए सॉर्टेक्स की सहायता उपलब्ध नहीं है।

सामान्य रुप से घटक 3.1 निर्यात अवसंरचना के विकास के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान अधिकतम सहायता 200 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी उपलब्ध की जा सकती है।

विशिष्ट आवश्यकताएं और शर्तें:

आवेदक द्वारा निर्यात अवसंरचना विकास के अंतर्गत उप-घटकों के प्रासंगिक निम्नलिखित विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:

I. एकीकृत पैकहाउस:

क. पैकहाउस/कोल्ड स्टोरेज/पूर्व-शीतलन के प्रस्ताव कम से कम नेशनल काउंसिल फॉर कोल्डचेन डेवलप्मेंट (एन.सी.सी.डी) के कोल्ड चेन तकनीक मानकों पर आधारित होंगे जो कि linkhttp://nccd.gov.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त , एपीडा के निर्देशानुसार समय-समय पर आयातक देशों को आवश्यकता का पालन करना होगा।

ख. निर्यातक, परियोजना के पूरा होने के 6 माह के भीतर पैकहाउस मान्यता योजना के अंतर्गत एपीडा के साथ पंजीकृत पैकहाउस को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग. दस्तावेज के क्रं.सं. 7 में उल्लिखित सभी मामलों में अंतिम दावे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और सभी आवश्यकताओं के अनुपालन को पूरा करने के बाद 75% की सहायता को जारी किया जाएगा।

घ. एपीडा पैकहाउस पंजीकरण योजना के आधार पर पैकहाउस के पंजीकरण के पश्चात् कुल मान्य सहायता की 25% राशि जारी की जाएगी।

II. इंसुलेटिड/ रीफर वाहन/ मोबाइल पूर्व-शीतलन इकाईयां:

क. उद्धरण को ओ.ई.एम या उनके उपकरण के अधिकृत वितरक / डीलर के लेटर हेड पर होना चाहिए। इस लेटर हेड पर वैधता और अन्य नियमों एवं शर्तों सहित विधिवत हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हों:

- निर्माण और मॉडल के साथ चेसिस

- निर्माण और मॉडल के साथ कंटेनर
- निर्माण और मॉडल के साथ रेफरीजेरेशन प्रणाली

III. केले और अन्य फसलों के लिए केबल कार प्रणाली की स्थापना:

केबल कार प्रणाली में वृक्षारोपण या फसलों के 20 हैक्टेयर से कम क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाएगा।

IV. प्रसंस्करण सुविधाएं:

क. इकाई में पहले से स्थापित खाद्य प्रसंस्करण लाइन होनी चाहिए।
ख. इकाई को एच.ए.सी.सी.पी / आई.एस.ओ 22000 से प्रमाणित होना चाहिए।

V. जैविक उत्पादों का विकास:

क. पूंजीगत संपत्ति; एकीकृत पैकहाउस, इन्सुलेट रेफ्रिजेरेटेड ट्रांसपोर्ट वाहन / मोबाइल पूर्व-शीतलन इकाई की खरीद, एकल या एकाधिक उत्पाद प्रसंस्करण सुविधाएं , कोल्ड स्टोर , गोदामों , कार्बन डाइऑक्साइड जेनेरेटर्स , फ्यूमिगेटिड स्टोर्स और सिलोस आदि के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध है। जैविक उत्पादों के लिए ट्रेसेनेट ट्रेसबिल्टी प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किए गए उत्पाद इस योजना के लिए उपयुक्त हैं।
ख. यह सहायता कुल लागत के 40% जिसकी अधिकतम सीमा 100 लाख रुपए तक सीमित है।

3.2 गुणवत्ता विकास

3.2.1 ट्रेसबिल्टी प्रणालियों हेतु कृषि स्तर परिधीय निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए वैश्विक मानकों, हैंड हेल्ड डिवाइस के अभिग्रहण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों , मानकीकरण, हार्मोनाइज़ेशन का कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण।

हिताधिकारी: निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्यातक और अन्य एजेंसियां:		
उप-घटक	**कार्यक्षेत्र**	**सहायता का स्वरूप**
क. सभी एपीडा अनुसूचित उत्पादों के लिए गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण।	खाद्य सुरक्षा अनुपालन का पालन करना।	कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी है।
ख. अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ मानकीकरण, हार्मोनाइज़ेशन।	अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षकों / निरीक्षकों को शुल्क के भुगतान सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ हार्मोनाइज़ेशन।	एपीडा द्वारा घटक को लागू किया जाएगा।
ग. ट्रेसबिल्टी प्रणाली के लिए फार्म स्तर परिधीय निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए सॉफ्टवेयर की लागत सहित हैंड हेल्ड उपकरणों का क्रय करना।	उत्पादों की ट्रेसबिल्टी सुनिश्चित करना। इस घटक के अंतर्गत एपीडा के पंजीकृत निर्यातक, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय और एपीडा की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं मान्य हैं।	कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी है।

3.2.2. तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल को सुदृढ़ बनाना		
हिताधिकारी: निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्यातक और अन्य एजेंसियां:		
उप-घटक	**कार्यक्षेत्र**	**सहायता का स्वरूप**
क. भारत और विदेशों मे	क्षमता निर्माण, हितधारक का	

प्रशिक्षण	विकास। इस घटक के अंतर्गत एपीडा के पंजीकृत निर्यातक , राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय और एपीडा की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं मान्य हैं।	3 वर्षों में एक बार अधिकतम 1.50 लाख रुपए प्रति भागीदार (2017-18 से 2019-20)
ख. एपीडा द्वारा संगठित / प्रायोजित / सहायता प्रदान की गई गोष्ठियां / कार्यशालाएं / आउटरीच कार्यक्रम आदि।	इस घटक के अंतर्गत हितधारक जागरूकता संगठन जैसे मान्यता प्राप्त व्यापार निकाय , वाणिज्य मंडल, सरकारी एजेंसियां इत्यादि मान्य हैं।	5 लाख रुपए तक की अधिकतम सहायता।
ग. जहां आवश्यक हो वहां नियमावली, ब्रोशर, दिशानिर्देशों इत्यादि को तैयार करना।	एपीडा द्वारा घटक लागू किया जाएगा।	

3.2.3 नेशनल रेफरल प्रयोगशाला (एन.आर .एल) और अन्य सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र/ एग्रोकेमिकल्स, कीटनाशकों, एफ्लाटॉक्सिन आदि की अवशिष्ट मॉनिटरिंग हेतु संस्थान को सहायता
एपीडा द्वारा घटक को लागू किया जाएगा। (अच्छी निर्यात क्षमता वाले सभी अनुसूचित उत्पादों के लिए लागू)
कार्यक्षेत्र: संबंधित उत्पाद के लिए नेशनल रेफरल प्रयोगशालाओं/ सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र / संस्थानों को सहायता प्रदान करने के द्वारा वैश्विक मानकों के आधार पर एम.आर.एल आदि का अनुपालन करना। इस प्रकार के संस्थान निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे: **1**. निर्यात के लिए मॉनिटर किए गए कीटनाशकों और संदूषकों की वार्षिक अनुशंसित सूची का निर्माण। **2.** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पद्धतियों के साथ अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए अपनाई गई पद्धति और अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा सैम्पलिंग और विश्लेषण के लिए अपनाई गई हार्मोनाइज़्ड पद्धतियों को विकसित करना। **3.** प्रत्येक अवशिष्ट या अवशिष्टों के समूहों के लिए सैम्पलिंग और विश्लेषण को

सुनियोजित करने और प्रयोगशाला कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता का आकलन करने हेतु प्रवीणता परीक्षा (पी.टी) कार्यक्रम आयोजित करना और प्रयोगशालाओं मे निरीक्षण दौरे आयोजित कर यह सुनिश्चित करना कि क्या निम्नलिखित निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जा रहा है। **4.** अगले वर्ष के लिए कार्रवाई की योजना के आधार पर वार्षिक विश्लेषण आंकड़ों की समीक्षा करना।

3.2.4 एपीडा द्वारा जहां अवशिष्ट निगरानी गतिविधि को लागू किया जाता है वहां कृषि उत्पाद/ उत्पादों में पानी , मिट्टी , कीटनाशकों के अवशिष्टों , पशु चिकित्सा दवाओं , हार्मोन्स, विषाक्त, भारी धातु संदूषकों, सूक्ष्मजीवों की गिनती आदि का परीक्षण

हिताधिकारी: एपीडा पंजीकृत निर्यातक

उप-घटक	**कार्यक्षेत्र**	**सहायता का स्वरूप**
एपीडा द्वारा जहां अवशिष्ट निगरानी गतिविधि लागू की जाती है वहां कृषि उत्पाद/ उत्पादों में पानी , मिट्टी, एग्रोकेमिकल्स/ कीटनाशकों के अवशिष्टों , पशु चिकित्सा दवाओं , हार्मोन्स, विषाक्त , भारी धातु संदूषकों , सूक्ष्मजीवों की गिनती आदि का परीक्षण	गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा अनुपालन को सुनिश्चित करना (सहायता केवल तीन वर्षों के लिए उपलब्ध की जाएगी)	लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपए प्रति सैम्पल है। प्रति हिताधिकारी अधिकतम सीमा: 3 वर्षों (2017-18 से 2019-20) के दौरान 10 लाख रुपए

टिप्पणी: वर्तमान में, विशिष्ट बाज़ार के लिए कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंगूरों, अनार, भिंडी और अन्य विशिष्ट बागवानी उत्पाद , मूंगफली, बासमती चावल आदि की मॉनिटरिंग करना। एपीडा द्वारा आयातक देशों की आवश्यकतानुसार अन्य उत्पादों को जोड़ा जा सकता है।

3.2.5 निर्यात परीक्षण और इन-हाउस प्रयोगशाला उपकरणों के लिए प्रयोगशाला		
हिताधिकारी: एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं और पंजीकृत निर्यातक		
उप-घटक	**कार्यक्षेत्र**	**सहायता का स्वरूप**
इन-हाउस प्रयोगशाला उपकरणों के लिए प्रयोगशाला: क. अपग्रेडेशन हेतु एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं।	निर्यात प्रमाणीकरण हेतु प्रयोगशाला अवसंरचना को मज़बूत बनाना।	लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है।
ख. इन-हाउस प्रयोगशाला उपकरणों के लिए एपीडा पंजीकृत निर्यातक।	इन-हाउस गुणवत्ता को सुनिश्चित करना।	कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए है।

3.2.6 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अवसंरचना और गुणवत्ता सुधार के लिए उन्नत सुझाव हेतु सहायता
एपीडा द्वारा घटक को लागू किया जाएगा
कार्यक्षेत्र: एपीडा द्वारा उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां नवाचार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात क्षेत्रों में बेहतर संरक्षण , पैकेजिंग , उत्पाद विकास , मूल्य संवर्धन और विशिष्ट बाज़ार अभिगमन का नेतृत्व किया जाएगा। इसी प्रकार से , इस घटक के अंतर्गत वैश्विक बाज़ार से प्राथमिक प्रक्रियाओं , एफ.पी.ओ , एस.एस.एच.जी को जोड़ने के लिए नवाचारों पर विचार किया जाएगा। समस्याओं और उनके समाधान की पहचान एक

सहयोगपूर्ण प्रयास हो। एक बार एपीडा द्वारा सार्वजनिक डोमेन में निर्धारित क्षेत्रों को स्थापित किए जाने पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक में नवाचार लाने , फसलोत्तर प्रबंधन अभ्यासों जैसे क्षेत्रों में संभावित समाधानों के लिए विभिन्न संस्थानों/ सार्वजनिक/ निजी उद्यमी , स्टॉर्ट अप्स आदि से सुझावों को आमंत्रित किया जाएगा। इन सुझावों को वाणिज्य विभाग के द्वारा अनुमोदित अंतर-मंत्रालयिक टीम द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यह टीम इन सुझावों के मूल्यांकन में सहायता के लिए किसी भी तकनीकी व्यक्ति का सह-चयन कर सकती है। समिति, संभावित सहायता के लिए 10 सुझावों को अल्पसूची में रखेगी। अल्पसूची बनने के पश्चात्, आवेदक को सहायता हेतु आवश्यकता की प्रकृति लाने के लिए अवधारणा को और अधिक विकसित करना होगा। इस तरह के प्रस्ताव को तकनीकी समिति के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस उप घटक के कार्यान्वयन का उद्देश्य कृषि निर्यात से संबंधित उज्ज्वल विचारों को पोषित करना है।

इस परियोजना का परिणाम भारत और अन्य उपयुक्त संबधित संगठनों की पूंजी इनक्यूबेटर से जुड़ा होगा।

चयनित स्थितियों को सामान्य परिस्थितियों में 25 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इस उप-घटक के लिए एपीडा के कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्य मान्य नहीं नहीं हैं।

सहायता का स्वरूप: वित्तीय सहायता को अंतर-मंत्रालयिक समिति के द्वारा उन्नत सुझावों के चयन के पश्चात् दो किश्तों में वितरित किया जाएगा।

3.2.7 नए पौधों/ बीज/ निर्यातान्मुख हेतु जर्मप्लाज़्म किस्में/ अंगूरों, ककड़ी, अनन्नास, सफेद प्याज़, मूंगफली, आलू, टमाटर, प्याज़ आदि के लिए निर्धारित उत्पाद हेतु उपयुक्त किस्मों का परिचय।

हिताधिकारी: एपीडा पंजीकृत निर्यातक और भारत सरकार/ राज्य सरकार के संस्थान।

कार्यक्षेत्र: नई किस्मों की रोपण सामग्री का परिचय कृषि मंत्रालय और आई.सी.ए.आर जैसे उनके शोध संस्थानों का अधिदेश है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए

रखने और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं / स्वाद की आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में ऐसे बाजारों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अत: एपीडा भारत सरकार के संस्थानों / निर्यातकों को ऐसी पहल के लिए सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव रखता है। सहायता का विवरण विशिष्ट आवश्यकताओं और शर्तों के अनुच्छेद सं. V के अंतर्गत दिया गया है।

विशिष्ट आवश्यकताएं और शर्तें:

आवेदक द्वारा गुणवत्ता विकास के तहत उप-घटकों के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

I. गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का प्रमाणीकरण:

क. इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों में एच.ए.सी.सी.पी , भारत एच.ए.सी.सी.पी , आई.एस.ओ-22000/एफ.एस.एस.सी-22000, बी.आर.सी , आई.एस.ओ-14001 , जी.ए.पी, भारत जी.ए.पी, जी.एच.पी, भारत जी.एच.पी, आई.एस.ओ-9001 आदि जैसे खाद्य प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन और प्रमाणीकरण के लिए सहायता <u>केवल उत्पादक निर्यातकों</u> के लिए स्वीकार्य होगी।

ख. एच.ए.सी.सी.पी, आई.एस.ओ-22000/एफ.एस.एस.सी-22000, बी.आर.सी, आई.एस.ओ-9001 आदि की उपयुक्त सहायता को दो चरणों में निर्यातकों को प्रतिपूर्ति किया जाएगा (दावे प्रस्तुत करने पर 50% और पहली आवधिक निगरानी का पूरा होने पर 50% की प्रतिपूर्ति)।

ग. एपीडा मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणीकरण हो।

घ. कार्यन्वयन और प्रमाणीकरण एजेंसी से घटक वार शुल्क स्वरूप के विवरण को **संलग्नक 2** के आधार पर उपलब्ध किया जाए। विवरण को एपीडा वेबसाट पर होस्ट किया जाएगा।

ङ. प्रत्येक प्रणाली के लिए सहायता व्यक्तिगत रूप से लागू होती है अत: प्रत्येक उपरोक्त प्रणाली के लिए अलग से आवेदन को जमा किया जाएगा।

II. एपीडा द्वारा भारत और विदेशों में प्रशिक्षण कार्यान्वित किया जाएगा।

क. एपीडा से संबंधित गतिविधियों के लिए ही सहायता उपलब्ध की जाएगी।

ख. **संलग्नक 8** में व्याख्या किए गए संस्थानों द्वारा प्रस्तुत कृषि उद्योग , गुणवत्ता, विपणन और प्रबंधन के प्रासंगिक अल्पकालिक कार्यकारी पाठ्यक्रम (1 माह तक) के लिए सहायता उपलब्ध की जाएगी। भागीदारी शुल्क / पाठ्यक्रम शुल्क की लागत पर विचार किया जाएगा।

III. एपीडा द्वारा जहां अवशिष्ट निगरानी गतिविधि को लागू किया जाता है वहां कृषि उत्पाद/ उत्पादों में पानी, मिट्टी, एग्रोकेमिकल्स/ कीटनाशक के अवशिष्टों, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन्स, विषाक्त, भारी धातु संदूषकों, सूक्ष्मजीवों की गिनती आदि का परीक्षण।

क. इस घटक के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आई.पी.ए) की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, प्रतिपूर्ति, फंड की उपलब्धता के अधीन है।

ख. एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के द्वारा किए गए सैम्पलिंग और विश्लेषण द्वारा निर्यातकों को सहायता उपलब्ध की जाएगी।

ग. आवेदन को प्रयोगशाला परीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरा जाए।

घ. इस आवेदन के साथ **संलग्नक 3** में रखी गई लिंकेज शीट , प्रयोगशालाओं को जारी भुगतान डेबिट प्रविष्टियों की साक्ष्य बैंक विवरण की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न होना चाहिए।

ङ. सैम्पलों आदि के प्रयोगशाला परीक्षण सॉफ्टवेयर जियो-टैगिंग पर प्रविष्टियों के आधार पर वित्तीय सहायता की गणना की जाएगी।

IV. निर्यात परीक्षण हेतु प्रयोगशाला और इन-हाउस प्रयोगशाला उपकरण:

क. संलग्नक 1 में दिए गए परीक्षण उपकरणों की सूचक सूची।

ख. प्रयोगशाला पैमाने परीक्षण उपकरणों के लिए विशेष रूप से सहायता लागू होती है और प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण उपकरणों , उपभोग्य सामग्रियों, कांच के बने पदार्थ , कंप्यूटर, सामान्य रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या प्रयोगशाला फर्नीचर और सिविल कार्य आदि के लिए सहायता लागू नहीं है।

ग. एपीडा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयोगशाला मान्यता http://apeda.gov.in/apedawebsite/menupages/Recognitionschemes.htm लिंक पर उपलब्ध है।

घ. इस सहायता में बिल्डिंग, मरम्मत और इन्टिरियर आदि शामिल नहीं हैं।

ङ. एपीडा द्वारा सहायता प्रदान की गई और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा एपीडा से पंजीकृत निर्यातकों को निर्धारित परीक्षण शुल्क पर कम से कम 10% छूट प्रदान की जाएगी।

VI. नए पौधों/ बीज/ निर्यातान्मुख हेतु जर्मप्लाज़्म किस्में/ अंगूरों , ककड़ी, अनन्नास, सफेद प्याज़, मूंगफली , आलू , टमाटर , प्याज़ आदि के लिए निर्धारित उत्पाद हेतु उपयुक्त किस्मों का परिचय।

क. आवेदक को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए विस्तृत व्यापार योजना प्रस्तुत करनी होगी।

ख. वित्तीय सहायता, आयातित संयंत्र सामग्री की कुल लागत के 60% जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी/ निर्यातक होगी। रॉयल्टी इत्यादि की लागत हिताधिकारी/ निर्यातक द्वारा ली जाए।

ग. ग्राफ्टिंग आदि के बाद लगाए गए खेत एवं अनुवर्ती क्षेत्रों को एपीडा की हॉर्टीनेट/ग्रेपनेट/ टेसबिल्टी प्रणली के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए और सीज़न के अंत में उत्पादित एवं निर्यातित मात्रा के विवरण की सूचना एपीडा को दी जाए।

घ. एपीडा किसी भी प्रकार से प्लांट के चयन , आयात के नियम एवं शर्तों, अधिशुल्क के नियम एवं शर्तों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इन पहलुओं को केवल आवेदक द्वारा निपटान किया जाए।

ङ. आवेदक को भारत में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेना होगा, क्योंकि मामला रोपण सामग्री के आयात के लिए हो सकता है।

च. भुगतान को तीन किश्तों में जारी किया जाएगा: रोपण और खेत के पंजीकरण पर 60% लागत, रोपण के एक वर्ष के बाद 30% और निर्यात के शुरू होने के पहले वर्ष में 10% शेष राशि।

छ. एफ.पी.ओ भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

ज. आई.सी.ए.आर संस्थानों/ राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा किए गए आयात की स्थिति में एपीडा द्वारा वित्तीय सहायता को आयातित पौध सामग्री की लागत के 100% तक विस्तृत किया जाएगा। परस्पर स्वीकार्य निबंधनों और शर्तों पर संस्थानों

की व्यावसायिक योजना के आधार पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामलों में अधिशुल्क की लागत एपीडा द्वारा भुगतान की जाएगी।

3.3 बाज़ार विकास:

3.3.1 डेटाबेस, बाज़ार आसूचना का विकास:
एपीडा द्वारा घटक को लागू किया जाएगा।
कार्यक्षेत्र: बाजारों और उत्पादों के बारे में सूचित निर्णय लेने और विभिन्न हितधारकों को ऐसी जानकारी प्रसारित करने के लिए एक मजबूत डेटाबेस बनाना। एपीडा द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/ उत्पादकों के बीच सीधे संबंध सक्षम करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म/ प्रोसेसर्स और निर्यातकों/ निर्यात बाज़ार के विकास की सुविधा उपलब्ध की जाएगी।

3.3.2 मेलों/ इवेंट्स/ क्रेता विक्रेता बैठकों/ रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकों , व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी
एपीडा द्वारा घटक को लागू किया जाएगा।
कार्यक्षेत्र: अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय उत्पादों की दृश्यता का संवर्धन और बढ़ावा देना। ।. विशिष्ट व्यापार मेले में पहली बार भागीदारी करने वाले निर्यातक को प्राथमिकता दी जाएगी। ॥. एक ही व्यापार मेले में तीन वर्ष तक भागीदारी करने वाले निर्यातक को एपीडा पविल्यन में वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी। ॥।. एपीडा द्वारा विभिन्न व्यापार मेलों में जैविक ब्रांड का संवर्धन किया जाएगा।

एपीडा द्वारा निर्धारित लक्षित बाज़ार में भारतीय जैविक के संवर्धन हेतु विशिष्ट गतिविधियों का उत्तरदायित्व लिया जाएगा।

3.3.3 उत्पाद विकास, आर एंड डी, ट्रेसबिल्टी को बढ़ावा देने हेतु सहायता
एपीडा द्वारा घटक को लागू किया जाएगा।
कार्यक्षेत्र: पैकेजिंग मानकों , परिवहन (वायु/समुद्र) नवाचार का विकास , भौगोलिक संकेत वाले उत्पादों का विकास, पशुओं को टेग लगाना, आर एंड डी आदि का विकास।

3.3.4 व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करने के माध्यम से नए बाज़ार / उत्पाद विकास के लिए सहायता / ताज़ा बागवानी उत्पाद के ट्राइअल शिपमेंट हेतु सहायता और भारत से बाहर ब्रांड / आई.पी.आर का पंजीकरण		
हिताधिकारी: एपीडा द्वारा पंजीकृत निर्यातक , केंद्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियां , व्यापार चैम्बर्स, विदेश में भारतीय मिशन आदि।		
उप-घटक	**कार्यक्षेत्र**	**सहायता का स्वरूप**
क. व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करने के माध्यम से नए बाज़ार / उत्पाद विकास	संभावित उत्पाद/ बाज़ार का निर्धारण	कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति अध्ययन है।
ख. ताज़ा बागवानी उत्पाद के लिए ट्राइअल शिपमेंट हेतु	नए उत्पादों/ पैकेजिंग के नए बाज़ारों और परीक्षण बाज़ारों का अन्वेषण	कुल लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए प्रति कंटेनर/ ट्रिप है।

सहायता		
ग. भारत से बाहर ब्रांड / आई.पी.आर का पंजीकरण	अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ब्रांड छवि को उन्नत करना	लागत का 40% जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए प्रति हिताधिकारी / बाज़ार है।

विशिष्ट आवश्यकताएं और शर्तें:

आवेदक द्वारा बाज़ार विकास के अंतर्गत उप-घटकों के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक विशिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:

I. व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करने के माध्यम से नए बाज़ार / उत्पाद विकास

क. अ ध्ययन का शीर्षक, कार्यक्षेत्र, लागत, उद्धरण की वैधता, भुगतान शर्तों इत्यादि को संकेत देते हुए प्रतिष्ठित परामर्शदाता से लेटरहेड पर उद्धरण / प्रोफोमा इनवायस। **सामान्य आवश्यकताओं** के तहत प्वाइंट नंबर .iii के सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को जमा करने के लिए भी संदर्भित किया जा सकता है।

ख. प्रस्तावित अध्ययन की अतीत में किए गए समान अध्ययनों की पुनरावृत्ति नहीं हो।

ग. प्रस्तावित अध्ययन आयोजित करने के लिए उचित औचित्य प्रदान किया जाए।

II. ताज़ा बागवानी उत्पाद के लिए ट्राइअल शिपमेंट हेतु सहायता

क. सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए एपीडा को अग्रिम प्रस्ताव भेजा जाए।

ख. एपीडा द्वारा समय-समय पर प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के अनुसार नए उत्पादों / पैकिंग के बाज़ारों और परीक्षण बाज़ारों का अन्वेषण करने हेतु सहायता उपलब्ध की जाएगी।

ग. ट्राइअल शिपमेंट को एपीडा द्वारा जारी उत्पाद/ पैकिंग/ बाज़ार के लिए स्थान में किसी भी प्रकार के नयाचार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

घ. एपीडा द्वारा निर्धारित नयाचार के संबंध में, एपीडा के साथ परामर्श से फार्म स्तर (कटाई के बाद) से प्रेषण के बंदरगाह तक गतिविधियों को आई.सी.ए.आर या राज्य

कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक के निरीक्षण के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रवृत्त किया जाएगा।

III. भारत के बाहर ब्रांड / आई.पी.आर का पंजीकरण

क. सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए एपीडा को अग्रिम प्रस्ताव भेजा जाए।

ख. जिस पंजीकरण के संबंध में उत्पाद और ब्रांड / आई.पी.आर का विवरण मांगा गया है।

ग. जिस देश में पंजीकरण के लिए औचित्य के साथ पंजीकरण की मांग की गई है।

घ. ब्रांड / आई.पी.आर के पंजीकरण के लिए संबंधित उत्तरदायी विदेशी एजेंसी से लागत अनुमान / शुल्क।

ङ. स्पष्ट रूप से संकेत किया जाए यदि पंजीकरण ट्रेड मार्क / आई.पी.आर / जी.आई के लिए है।

4. सामान्य आवश्यकताएं और शर्तें:

i. केवल जैविक उत्पादों के लिए अवसंरचना घटक के अंतर्गत सहायता के अतिरिक्त एपीडा अनुसूचित उत्पादों के लिए पंजीकृत निर्यातकों केन्द्रीय / राज्य एजेंसियां , एफ.पी.ओ आदि जैसे अन्य संगठनो को एपीडा की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है।

ii. आवेदन के साथ निम्नलिखित स्व-प्रमाणित दस्तावेज़ विधिवत रुप से संलग्न हों। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन के 30 दिनों के अंतर्गत भौतिक रुप से प्रस्तुत कर दिया जाए अन्यथा आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

क. नए उपकरण की खरीद के लिए , उपकरण के उद्धरण/ परफॉर्मा इनवायस/ बिलों को कम से कम तीन मूल उपकरण निर्माणकर्ता (ओ.ई.एम) या उनके अधिकृत वितरक/ डीलर से प्राप्त किया जाए।

ख. सामान्यत: उद्धरण न्यूनतम तीन आपूर्तिकर्ताओं से मांगा जाएगा। आवेदक तीन बोली लगाने वालों में से किसी एक पर कार्य आदेश देने के लिए स्वतंत्र है हालांकि एपीडा की सहायता की सबसे कम उद्धृत दर पर गणना की जाएगी।

ग. व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में प्रासंगिक क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित परामर्श फर्मों से उद्धरण की मांग की जाएगी।

घ. गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एपीडा वेबसाइट के लिंक http://apeda.gov.in/apedawebsite/menupages/RecognizedOrganizations.htm पर उपलब्ध एपीडा मान्यता प्राप्त एजेंसियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निर्यातकों को सहायता स्वीकार्य होगी।

ङ. जहां भी सिविल कार्य सम्मिलित होगा एपीडा द्वारा सहायता केवल परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी सिविल कार्य तक ही सीमित होगी (गैर-तकनीकी कार्य की सूची **संलग्नक 7** में दी गई है)। चार्टर्ड इंजीनियर या सिविल आर्किटेक्ट द्वारा विधिवत प्रमाणित मात्रा, दर / इकाई और कुल राशि को दर्शाते लागत अनुमान को सिविल कार्य हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमानित लागत और इसकी दर भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचना के आधार पर दर (केवल मूल वस्तुओं के लिए) की मानक अनुसूची के अंतर्गत हो।

च. परियोजना के सिविल कार्य घटक के लिए वित्तीय सहायता उस आवेदन की कुल योग्य वित्तीय सहायता के अधिकतम 25% तक ही सीमित होगी।

छ. उद्धरणों में पता, जी.एस.टी.एन, टी.आई.एन और पैन, विस्तृत विनिर्देश के साथ उत्पाद विवरण, मान्यता तिथि और उत्पाद वार लागत/ इकाई और कुल राशि स्पष्ट दिखना चाहिए। स्पष्ट रुप से उपयोगिता के साथ अवसंरचना/ प्रयोगशाला उपकरण/ कोई अन्य सम्पत्ति की स्थिति में उपकरण के विवरण को दर्शाते हुए तकनीकी ब्रॉशर/ साहित्य/ पेमप्लेट।

ज. आवेदन के साथ संलग्नक 8 में वर्णित संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम / अनुसूची / केलैंडर या विवरण-पुस्तिका को प्रस्तुत किया जाए।

iii. अगले तीन वर्षों के लिए केवल यथार्थवादी अनुमानित निर्यात का वर्ष वार उल्लेख मात्रा (मैट्रिक टन) और मूल्य (लाख रुपए) में किया जाए जिसकी भविष्य की सहायता पर विचार करने के लिए एपीडा द्वारा सत्यापित और समीक्षा की जा सकती है।

iv. यदि निर्यातक ने एपीडा से सहायता प्राप्त की है और सहायता प्राप्त करने के लगातार 2 वर्ष तक कोई निर्यात नहीं किया है तो वित्तीय सहायता पर विचार नहीं किया जाएगा। बाद के अनुप्रयोगों को केवल निर्यात प्रदर्शन के आधार पर माना जाएगा। अनुवर्ती आवेदनों पर केवल निर्यात प्रदर्शन के आधार पर विचार किया जाएगा। निर्यातक को निर्यात होने या न होने की दोनो स्थितियों में एपीडा वेबसाइट पर सहायता दी गई इकाई से ऑनलाइन त्रैमासिक निर्यात प्रदर्शन को प्रस्तुत करना होगा।

v. एपीडा में सभी आवश्यक संबंधित दस्तावेज़ों सहित ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति की तिथि को सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन की प्राप्ति की तिथि माना जाएगा। **एपीडा में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले किए गए ऑर्डर / व्यय की नियुक्ति सहायता के लिए अयोग्य होगी।**

vi. एपीडा का सैद्धांतिक अनुमोदन (आई.पी.ए) क्रमश: उप-घटक 3.2.1 और 3.2.4 के अंतर्गत उल्लिखित जी.ए.पी प्रमाणीकरण और प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क के अतिरिक्त योजना के सभी घटक के लिए आवश्यक होगा।

vii. आई.पी.ए को आवेदन प्राप्ति की तिथि से छ: माह के अंतर्गत जारी किया जाए। आई.पी.ए जारी करने के पश्चात् , आवेदक के अनुरोध पर आई.पी.ए की मान्यता के अंतर्गत संशोधन पर विचार किया जाएगा।

viii. एपीडा द्वारा जारी किया गया सैद्धांतिक अनुमोदन (आई.पी.ए) सामान्यत: 6 माह (केला या अन्य फ़सल के लिए एकीकृत पैकहाउस की स्थिति में 1 वर्ष के लिए) या जैसा कि आई.पी.ए में उल्लिखित है तब तक के लिए मान्य होगा। आई.पी.ए विस्तार के अनुरोध पर मूल आई.पी.ए पर मान्यता समाप्त होने से पूर्व केवल योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

ix. एपीडा के पास बाहरी एजेंसी से मूल्यांकन की गई परियोजनाओं को प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परियोजना व्यवहार्य नहीं पाई जाती है , तो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा । सैद्धांतिक अनुमोदन का अनुदान योग्य वस्तुओं और गतिविधियों पर आधारित होगा और अयोग्य वस्तुओं या गतिविधि पर किसी भी व्यय पर विचार नहीं किया जाएगा।

x. दावे की स्वीकार्यता से संबंधित एपीडा का निर्णय अंतिम होगा और केवल आवेदन प्रस्तुत करने से वित्तीय सहायता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

xi. कंपनी के स्वामित्व / प्रबंधन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को आर.सी.एम.सी में शामिल करने की ज़िम्मेदारी निर्यातक की होगी।

xii. 10% प्रति वर्ष निर्यात वृद्धि हिताधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त करने के बाद सुनिश्चित की जाएगी जिससे अगली सहायता को विस्तारित नहीं किया जाएगा , इसमें एपीडा के माध्यम से व्यापार मेले में भागीदारी शामिल है। निर्यात शून्य होने की स्थिति होने के साथ वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद अगले पांच वर्षों के लिए मासिक निर्यात रिटर्न एपीडा वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पोस्ट किया जाए।

xiii. एपीडा द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन और आगामी भौतिक सत्यापनों के नियम एवं शर्तों के अनुसार आवेदक द्वारा दावे के पूरा होने और प्रस्तुत करने पर एपीडा से उपयुक्त सहायता की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

xiv. यह आवेदक का उत्तरदायित्व है कि सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र की मूल या विस्तारित मान्यता तिथि से पूर्व अंतिम दावे दस्तावेज़ों को पूरा किया जाए।

xv. यदि आवेदक / हिताधिकारी की विभिन्न लोकेशन में एक से अधिक निर्माण इकाई हैं , एपीडा द्वारा प्रत्येक इकाई के लिए सहायता पर विचार किया जा सकता है। हालांकि , इस प्रकार की इकाईयों को सर्वप्रथम आई.ई.सी और एपीडा आर.सी.एम.सी में शामिल होना आवश्यक है।

xvi. एन.ई.आर और पहाड़ी राज्यों में वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

xvii. पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए मांगी गई सहायता के लिए बैंक से जुड़े आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।

xviii. उन वर्तमान निर्यातकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पहले ही उन उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है जिनके लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है।

xix. वह आवेदक जो वर्तमान निर्यातक नहीं हैं या जिनका आवेदन बैंक से लिंक नहीं है , उन्हें उपयुक्त वित्तीय सहायता के @25% की बैंक गारंटी सहायता के भुगतान के समय प्रस्तुत की जाएगी। इस योजना के नियमों और शर्तों में प्रस्तावित निर्यात के बाद बैंक गारंटी जारी की जाएगी।

xx. एपीडा को वाणिज्य विभाग द्वारा बजटीय आवंटन प्रदान किया जाएगा। वास्तविक आवंटन साल-दर-साल भिन्न हो सकता है। सहायता का वितरण सरकार द्वारा

वास्तविक बजट आवंटन के अधीन है। वित्तीय सहायता एपीडा में फंड की उपलब्धता और सरकार द्वारा अनुदान के अधीन प्रदान की जाती है।

xxi. योजना की निरंतरता के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मध्यम अवधि व्यय ढांचे (2017-20) के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आगे बढ़ाने में आवेदक द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। वित्तीय सहायता हेतु किसी भी आवेदन के लिए एपीडा द्वारा प्रतिबद्ध उत्तरदायित्व नहीं लिया जाएगा।

xxii.आवेदक को एफ .एस.एस.ए.आई और किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकरण / लाइसेंस की आवश्यकता का पालन करना होगा।

5. आवेदन और दस्तावेज की आवश्यकताओं को भरने की प्रक्रिया

i. एक विस्तृत प्रस्ताव जिसमें कंपनी प्रोफाइल , परियोजना की प्रकृति , वर्तमान अवसंरचना , प्रस्तावित अवसंरचना, क्षमता वृद्धि / गुणवत्ता उन्नतीकरण के अनुसार प्रस्तावित सुविधा से लाभ , वर्तमान और प्रस्तावित प्रोसेस फ्लो चार्ट , नियत बाज़ार व्यवहार्यता आदि शामिल हों। परियोजना के लागत के साथ उद्धरण (उपकरण के लिए) , मात्रा के बिल (सिविल कार्य के लिए) विधिवत रुप से संलग्न हों।

ii. आवेदक के लिए यह आवश्यक है कि वह एपीडा वेबसाइट www.apeda.gov in में दिए गए योजना शीर्ष में **फैस आवेदन प्रस्तुत** करने के माध्यम से वित्तीय सहायता की मांग हेतु ऑनलाइन आवेदन करे।

iii. ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक सब्मिशन के पश्चात् सिस्टम के माध्यम से एक ट्रैक संख्या जेनरेट हो जाएगी। आवेदक को प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट प्रति और उपर्युक्त प्रासंगिक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन ट्रैक संख्या की इलैक्ट्रॉनिक अभिस्वीकृति शीट की एक प्रति को प्रस्तुत करना होगा।

iv. एपीडा में सभी संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति की तिथि को सैद्धांतिक अनुमोदन में अनुदान के लिए आवेदन की प्राप्ति की तिथि के रूप में माना जाएगा।

6. स्वीकृति की प्रक्रिया

i. सभी संबंधों में पूर्ण प्रस्ताव को क्रमश: उप-घटक 3.2.1 और 3.2.4 के अंतर्गत जी.ए.पी प्रमाणीकरण और प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क की स्थिति के अतिरिक्त सैद्धांतिक अनुमोदन की स्वीकृति के लिए एपीडा द्वारा संसाधित किया जाएगा।

ii. एपीडा या एपीडा द्वारा अधिकृत एजेंसी के द्वारा केवल पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण से संबंधित अनुप्रयोगों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और प्रस्तुत किए गए आवेदन पर एक रिपोर्ट प्रदान की जाएगी।

iii. वित्तीय सहायता के लिए सभी आवेदनों की तकनीकी समिति द्वारा जाँच की जाएगी। जहां आवश्यक हो वहां अध्यक्ष , एपीडा प्रत्येक समिति के सदस्यों की संरचना का निर्णय लेने और किसी भी अन्य समिति / तकनीकी समिति और इसकी संरचना को तय करने के लिए प्राधिकारी है।

iv. 1 करोड़ रूपए तक की वित्तीय सहायता के प्रस्तावों को अध्यक्ष, एपीडा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और 1 करोड़ रूपए से अधिक की वित्तीय सहायता के अनुमोदन को एपीडा प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

v. जब भी आवश्यक हो, तकनीकी समिति की बैठक (दो माह में एक बार) नियमित रूप से आयोजित की जाएगी।

vi. आवेदक को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, सैद्धांतिक अनुमोदन (आई.पी.ए) जारी किया जाएगा। प्राधिकरण को अंतिम बैठक और वर्तमान बैठक की मध्यवर्ती अवधि के दौरान जारी सभी आई.पी.ए के बारे में सूचित किया जाएगा।

7. अंतिम दावा दस्तावेज़ की प्रस्तुति

i. यह आवेदक का उत्तरदायित्व है कि सैद्धांतिक अनुमोदन पत्र की मूल या विस्तारित मान्यता तिथि से पूर्व अंतिम दावे दस्तावेज़ों को पूरा किया जाए। कुछ उप घटकों में वित्तीय सहायता के लिए जहां आई.पी.ए की आवश्यकता नहीं है , वहां अंतिम दावा दस्तावेज़ गतिविधि के पूरा होने के तीन महीने की अवधि के भीतर जमा किया जाएगा।

ii. आवेदक को एपीडा से वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए लागू होने वाले निम्नलिखित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा:

क. निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक 5)** में सी.ए प्रमाणपत्र। सी.ए फर्म को प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सी.ए के नाम , पदनाम और सदस्यता संख्या के अतिरिक्त सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना होगा।

ख. विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को जारी भुगतान की डेबिट प्रविष्टियों को दर्शाते हुए बैंक विवरण और ऐसी प्रविष्टियों को हाइलाइट किया जाए।

ग. नकद भुगतान करने के लिए निर्यातकों/ कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार के प्रावधानों का पालन करना होगा। विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं / एजेंसियों से प्राप्त उचित रसीद जमा की जाए। लागू होने वाले आयकर नियमों के अनुसार नकद भुगतान सीमा का पालन किया जाए। (वर्तमान में 10,000/- रुपए)।

घ. पूंजीगत संपत्तियों / उपकरणों आदि के लिए **संलग्नक 6** में दिए गए परफॉर्मा के अनुसार गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर 100 / - रुपए पर क्षतिपूर्ति बांड।

ङ. सिविल निर्माण आदि सहित पूंजी / चल संपत्तियों के लिए , एपीडा की सहायता की अभिस्वीकृति दिखानी होगी (इस अभिस्वीकृति पर "एपीडा द्वारा सहायता दी गई है" शब्दों के साथ अपने वास्तविक रंग और डिजाइन में एपीडा लोगो मुद्रित हो)। यह ध्यान दिया जाए कि इस पर \ स्टिकर लगाने की अनुमति नहीं है।

च. पूंजीगत संपत्ति के लिए चार्टर्ड इंजीनियर से इंस्टालेशन प्रमाण-पत्र।

छ. आयातित उपकरण के लिए आवेदक द्वारा प्रासंगिक उपकरण उपलब्ध किया जाएगा।

ज. जैविक उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता , एन.पी.ओ.पी के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय के द्वारा जारी की गई प्रसंस्करण सुविधा हेतु वैध स्कोप प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति के अधीन होगी।

झ. प्रयोगशाला उपकरण सहायता के लिए तकनीकज्ञ के बायोडाटा को प्रस्तुत करना होगा।

ञ. प्रयोगशाला परीक्षण सॉफ्टवेयर आदि पर बैंक विवरण के अनुसार भुगतान की प्रविष्टि प्रदर्शित करने वाला प्रयोगशाला का स्क्रीन शॉट।

ट. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए लेखापरीक्षा निगरानी प्रारूप (**संलग्नक 4**)।

ठ. संगोष्ठियों / सामूहिक गतिविधियों के लिए , सरकारी एजेंसी के संबंध में सनदी लेखाकार / उपयोग प्रमाण-पत्र द्वारा अनुमोदित विशिष्ट गतिविधि से संबंधित एक विवरण जिसके लिए स्वीकृति दी जाती है।

ढ. संगोष्ठियों / सामूहिक गतिविधियों के लिए, तस्वीरों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाए।

ड़. लागू होने पर व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जाए।

त. प्रशिक्षण सहायता के लिए भुगतान किए गए शुल्क के साथ प्रशिक्षण पूरा करने के संबंध में संबंधित संस्थान से प्रमाण-पत्र को वित्तीय सहायता का दावा करने के लिए प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एपीडा में प्रस्तुत किया जाएगा।

थ. उप-घटक 3.2.4 के अंतर्गत दावे के लिए आवेदक को एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह उल्लिखित होगा कि परीक्षण विशेष रूप से निर्यात हेतु सैम्पल के लिए किया गया था। इसके लिए एक सी.ए प्रमाण-पत्र दावे के साथ जमा किया जाए।

द. दावे की प्राप्ति पर, एपीडा या एपीडा द्वारा सहायता के वितरण से पहले जहां भी लागू हो वहां पूंजीगत संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

8. वित्तीय सहायता का संवितरण

i. प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच एपीडा में की जाएगी।

ii. किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में आवेदक से स्पष्टीकरण / आवश्यक दस्तावेजों की मांग की जाएगी।

iii. सभी प्रकार से पूर्ण अंतिम दावे दस्तावेज़ को अनुमोदन के लिए संसाधित किया जाएगा।

iv. वैयक्तिक निर्यातक की स्थिति में, हिताधिकारी द्वारा अनिवार्य रुप से आधार संख्या उपलब्ध की जाए।

v. हिताधिकारी को आवेदन में प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार सीधे उनके खाते में एन.ई.एफ.टी / आर .टी.जी.एस के माध्यम से ऑनलाइन रुप से सहायता राशि जारी कर दी जाएगी।

vi. सरकार के अनुमोदन के आधार पर , योजना के विभिन्न घटकों और उप-घटकों के तहत विस्तारित सभी वित्तीय सहायता से 5% प्रसंस्करण शुल्क काटा जाता है।

vii. पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता के लिए बैंक से लिंक हुए आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।

****